एपिसोड नं. 21.....:

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

आलेख और अनुसंधान : अनुराग शर्मा

रेडियो धारावाहिक

त्रिलोक : (जम्हाई लेते हुए) कल नीम से तोड़कर दातुन रखे थे। पता नहीं कहां गये। हां यह रहे।(कल्लू का प्रवेश)

कल्लू : क्या त्रिलोक अभी दातुन ही कर रहा है ?

त्रिलोक : क्या हाल है कल्लू, यार आज जरा आंख देर से खुली।

कल्लू : यार, गांव में शहर से करुणा दीदी आयी हुई हैं।

त्रिलोक : अरे, वही जो डंकल के बारे में बता रही थीं।

कल्लू : हां, हां, वही । कुछ बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में बात कर रही थीं।(बल्ली का प्रवेश)

बल्ली : राम–राम, दीनू भाई, राम–राम त्रिलोक भाई।

कल्लू : राम–राम। अरे सुबह–सुबह कहां भागा जा रहा है।

बल्ली : वो.....करूणा दीदी आई है न, उन्होंने सबको चौपाल पर इकट्ठा होने को कहा है, मुखिया और दादा जी भी उनके साथ हैं।। सो वहीं सन्देशा देने जा रहा था। तुम दोनों भी पहुंचो।

त्रिलोक : और कौन है वहां ?

बल्ली : विक्रम भईया, मेधा–प्रयास, दीनू, सब ही हैं वहां। तुम जल्दी पहुंचो।

कल्लू : ठीक है आते हैं, तू इतनाक्यों परेशान है ?

त्रिलोक : हां यार, दातुन तो कर लेने दे, फिर नाश्ता करके पहुंचते हैं।

बल्ली : अरे भईया, अब दातुन भी विदेशी हुए जा रहा है, दीदी कह रही थी, कि विदेशियों ने नीम पर अधिकार ले लिया है। अब यह दातुन की भी कीमत चुकानी पड़ेगी।

कल्लू : दातुन की कीमत, यारत्रिलोक मामला गंभीर लगता है।

त्रिलोक : हां यार। ऐसा करते हैं परांठे खाते हुए ही चलते हैं। चल ।(दृश्य परिवर्तन का संगीत)

मेधा : नमस्ते चाचा।

कल्लू : नमस्ते–नमस्ते। क्या बात है, आज तो बहुत लोग इकट्ठे कर लिये।

प्रयास : हां चाचा, आज बात ही ऐसी है। नमस्ते त्रिलोक चाचा।

त्रिलोक : नमस्ते–नमस्ते। ऐसी क्या बात है, प्रयास हमें भी बताओ।

मेधा : अरे चाचा, आगे चल कर दादा जी के पास बैठो। सब पता चल जाएगा।(दृश्य परिवर्तन) (कई लोगों की आवाज)

मुखिया : शांत, भाइयों और बहनों, आज हम सबके बीच में दिल्ली से करूणा दीदी आई हुई हैं। यह हमें बौद्धिक सम्पदा अधिकार और किसानों के हित में सरकार द्वारा बनाये गये नये कानून के बारे में बताएंगी।

विक्रम : आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, पर एक–एक करके।

करूणा : मैं पहले आप सबके बीच में डंकल प्रस्ताव के बारे में जानकारी देने आयी थीं। आज हम इनटैक्टचुअल प्रोपर्टी राईट्स यानी आई पी आर के बारे में बात करेंगे।

त्रिलोक : दीदी यह आई पी आर माने !

दादा जी : तू जरूर टोकियो। बोलो बेटी।

करूणा : आई पी आर मतलब है बौद्धिक सम्पदा का अधिकार।

विक्रम : और आज हम इससे जुड़े फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे।

कल्लू : पर भईया, इसका हम किसानों से क्या मतलब हमारे पास क्या सम्पदा है?

करूणा : क्यों कल्लू यह तुम जो धरती से सोना पैदा करते हो यह तुम्हारी सम्पदा नहीं है। यह जो पेड़ लगाते हैं, फिर वह फल देता है। यह किसकी सम्पदा है। तुम्हारी।

दीनू : पर यह सब हम से कौनले जा रहा है। यह तो हमारे अपने हैं और अपने ही रहेंगे।

विक्रम : नहीं कल्लू जो आज हमारा है,जरूरी नहीं कल भी अपना हो।

त्रिलोक : यह बल्ली क्या कह रहाथा कि नीम भी पराया हो गया ?

करूणा : यही तो हम समझाना चाह रहे हैं कि इस आई पी आर के कारण हमें अपने बीज, पौधे और पेड़ आदि खोने पड़ सकते हैं जो वर्षों से हमारे थे, अगर हमने समय रहते बौद्धिक सम्पदा अधिकार को नहीं समझा और नहीं अपनाया तो।

दादा जी : यह अधिकार आखिर है क्या ?

विक्रम : असल में दादा जी सभी को अपनी सम्पदा परअधिकार दिया गया है। जैसे ट्रेडमार्क होते हैं, जो किसी खास वस्तु या उत्पाद से जुड़े होते हैं, इसी तरह कॉपी राइट।

करूणा : हां जैसे किसी फिल्म यासंगीत आदि का, और इसी तरह पेटेन्ट भी, किसी नई इजाद, खोज,आविष्कार आदि का लिया जा सकताहै।

कल्लू : अरे यह सब तो हम जानते हैं, प्रोफेसर साब ने हमें गैट और ट्रिप्स में इसके बारे में बतायाथा। तुम्हारे साथही तो आये थे विक्रम भईया।

विक्रम : अगर तुम्हें गैट, ट्रिप्स, डब्ल्यूटीओ आदि के बारे में पता है, या याद है तो बहुत अच्छी बात है। पर आज हम उससे जुड़ी, पर कुछ अलग हट कर बात करेंगे।

त्रिलोक : क्या भईया, जुड़ी भी और अलग हटकर भी। तुम तो मेरी जैसी बात करने लगे।(सब हंसते हैं)

करूणा : देखो, जैसा कि तुम जानते हो बौद्धिक सम्पदा का अधिकार कई तरह का है,वही जैसे पेटेन्ट्स, डिजाइन्स या ट्रेडमार्क आदि। अब उरुग्वे दौर के बाद आईपीआर को भी ट्रिप्स यानी व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार में डाल दिया गया।

विक्रम : और फिर उसी में जुड़ गया प्लांट वैराइटी प्रोटैक्शन –पी वी पी यानी पौधों की किस्म की सुरक्षा। अब इसमें जो ब्रीडर है यानी जो नई किस्मों और नये बीजों को तैयार करेगा उसे ही बाजार में बेचने का अधिकार मिलेगा।

दादा जी : इसमें तो ब्रीडर यानी प्रजनक को ही फायदा है।

करूणा : दादा जी इस पी वी पी प्रणाली को प्लांट ब्रीडर्स राइट – पी बी आर यानी प्रजनक के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। पर यह अधिकार ब्रीडर को तब मिलता है जब उसके द्वारा तैयार की गई किस्म पी वी पी प्रणाली के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त कर ले।

त्रिलोक : और किसी किस्म को मान्यता कैसे मिलती है ?

विक्रम : किसी पोधे की किस्म को मान्यता देने के लिए तीन शर्तें पूरी होनी जरूरी है, पहली कि वह सबसे या दूसरी उसी तरह की किस्म से अलग हो यानी डिस्टिंक्टनैस, दूसरी उस किस्म के पूरे पौधे में समानता हो यानी यूनिफोर्मिटी और तीसरी वह किस्म हर परिस्थिति में स्थिर हो यानी स्टेबिल हो। इसे अंग्रेजी में 'दस' आवश्यकता कहते हैं।

त्रिलोक : 'दस' आवश्यकता ये तो तीन ही है ?

करूणा : (हंसते हुए) 'दस' यानी डी यू एस, डी से डिस्टिंक्टनैस, यू से यूनिफोर्मिटी और एस से .....

मेधा : स्टेबिल।

विक्रम : शाबास मेधा ।

कल्लू : नई किस्म को ले कर यह नियम किसने बनाए ?

करूणा : यह स्ट्रेंडर्ड सबसे पहले यूपोव यानी यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दी न्यू वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स ने बनाए थे।

दीनू : यह यूपोव क्या है ?

विक्रम : यूपोव एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था है, जो नए पौधों आदि की किस्मों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी कानून या मानक बनाती है।

बल्ली : जब यह संस्था ही बाहर की है तो यह हमारा क्या भला सोचेगी ?

करूणा : यूपोव का विरोध कई जनसेवी संस्थाओं ने किया, क्योंकि कई लोगों का मानना थाकि इसमें बड़ी–बड़ी कम्पनियों के हित की रक्षा तो होती है, पर किसानों का कोई भला नहीं होने वाला।

विक्रम : हालांकि कोशिश यही थी कि सबको बराबरी का हक मिले पर ज्यादा पैसे वाले ताकतवर देश इसका ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।

कल्लू : हां, जैसे अपना त्रिलोक। अपनी ताकत के बल पर पूरे गांव में रोब गांठता रहता है।

दीनू : रहने दे, रहने दे। तू भी त्रिलोक की यारी के चलते खूब उछलता रहता है।

त्रिलोक : मुझे आज पता चला कि मैं इतना ताकतवर हूं, कि यह कल्लू जैसे पिद्दी लोग मेरे साथ की वजह से मजे लेते हैं। इसे कहते हैं दोस्ती । खुद भी मजे लो और दूसरों को भी कराओ।(सब हंसते हैं)

दादा जी : अरे तुम इस गम्भीर बात को कहां से कहां ले जा रहे हो। करूणा बेटी, इन ताकतवर देशों की मार से हम कैसे बच सकते हैं ?

करूणा : असल में हर देश को वनस्पतियों आदि की किस्मों को लेकरअपनेकानून बनाने का हक है, जिससे उनके किसानों के हितों की रक्षा हो सके। इसे सू जिनेरिस कहते हैं।

विक्रम : हां हमारे देश में इस तरह का अधिनियम बना दिया गया है। भारतीय पौधों की किस्मों की सुरक्षा और किसान के अधिकारों का अधिनियम 2001 एक ऐसा सू जिनेरिस कानून है, जिसके अन्तर्गत प्रजनक के अधिकारों और किसान के अधिकारों को भारतीय परिवेश के अनुसार सुरक्षित रखा गया है।

दीनू : क्या कहताहै यह नया कानून ?

करूणा : इस कानून में किसान को फसल पैदा करने वाले के साथ–साथ भारतीय फसल की किस्मों का और जंगली पौधों की किस्मों का प्रजनक, संरक्षक और रक्षक बताया गया है।

त्रिलोक : हम इतना सब कुछ हैं,भई वाह !

कल्लू : अरे–अरे, ज्यादा मत फूल फट जायेगा। अपने पर काबू रख कर चुपचाप दीदी की बात सुनता जा।

दादा जी : प्रजनक है, तो सारे ब्रीडर वाले हक भी किसान के, क्यों ?

विक्रम : हां, अब इस कानून के आ जाने से किसान जो वर्षों से हमारे भारत की जैव विविधता बचाये रख रहा है, वह उन किस्मों का सही मायने में मालिक हो जायेगा।

प्रयास : अब क्या सारी जैवविविधता किसान की ?

करूणा : (हंसते हुए) नहीं–नहीं प्रयास बेटा, सारी नहीं, पर वह किस्में जो वह बरसों से बो रहा है, जिनके बीज उसने हजारों सालों से संभाल कर रखे हैं, उस बीज और बोने के तरीके पर अब उसी का अधिकार है।

दादा जी : यह तो ठीक है, पर ऐसा तो हम वर्षों से करते आए हैं, तो इसमें नया क्या है ?

विक्रम : दादा जी, उदारीकरण और वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में कई बदलाव आए हैं। पूरे विश्व की आबादी बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी से निपटने के लिए नये–नये प्रकार के ज्यादा पैदावार देने वाले बीज तैयार किए जा रहे हैं।

करूणा : और बीज तैयार होते हैं, पहले से मौजूद पौधों की किस्मों से। अब अगर कोई आपके पौधे में थोड़ी सी हेर–फेर कर के नई किस्म तैयार कर ले जिसमें बीमारी भी कम लगती हो, पैदावार भी ज्यादा, तो क्या होगा ?

बल्ली : अजी बढ़िया ही होगा। सबको फायदा मिलेगा।

विक्रम : हां बल्ली भाई, जो कम्पनी वह बीज तैयार करेगी वह तो करोड़ों–अरबों में खेलेगी पर वह किसान जिसकी किस्मों का उपयोग करके यह बीज बना पाई,उसे क्या मिला ?

त्रिलोक : ठेंगा ! !

करूणा : बिल्कुल ठीक। अब अगर कोई कम्पनी, फर्म, संस्था आदि इस तरह से बीज तैयार करती हे, तो उसे उस किसान, या जन समुदाय को भी हिस्सा देना होगा जिसने मूल पौधे को बचा कर रखा है।

कल्लू : यह तो बहुत बढ़िया है ।

त्रिलोक : मैंने भी अपने दादा जी द्वारा दिये गये चावल के दाने बड़े संभाल कर रखे हैं। किसी बड़ी कम्पनी से उनके इस्तेमाल की बात करूं।

दादा जी : लो भई, यह तो ख़ुद ही अपनी जैवविविधता लुटाने को तैयार है। अरे मूरख जब दिये हैं तो संभाल के रख और रजिस्टर करा, अगर कोई इस्तेमाल करना चाहेगा तो खुद ही तेरे पास आयेगा। तब कमा लियो।

विक्रम : और कमाने के चक्कर में गवां मत देना। अपनी चीज है, अपने देश की जलवायु के हिसाब से बनी है, यह सारे पुराने देसी बीज ही तो हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है।

मेधा : चाचा क्या इस नये कानून के आ जाने से हमारा किसानअपने बीजों को बाजार में बेच भी सकेगा ?

दादा जी : देखा, इतनी सी बच्ची ने कितना जरूरी सवाल किया। तुम लोग भी ध्यान दो।

करूणा : हां, बेटी इस कानून में किसान को बीज बेचने का अधिकार भी है जो वो पहले से ही कर रहा है। पर वही बीज बेचने का अधिकार है जो बीज उसके अपने हों, किसी कम्पनी आदि के नहीं।

प्रयास : चलो त्रिलोक चाचा दुकान खोलते हैं, बीज बेचेंगे।(सब हंसते हैं)

कल्लू : वाह प्रयास बिल्कुल ठीक आदमी चुना, मैं तो कहता हूं। हजार रुपये की खरीद पर त्रिलोक फ्री रख देना, तब जरूर बिक्री हो जायेगी। वरना इसके बैठने से कोई खरीददार नहीं आयेगा।(सब हंसते हैं)

मुखिया : किसानों ने अगर अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया तो।

विक्रम : तो इस कानून में भी कंपलसरी लाइसेंस का प्रावधान है। मतलब अगर किसी ने भी गलत फायदा उठाया जैसे, बीज को बाजार में न देना, या कम सप्लाई देना जिससे मांग बढ़े और दाम भी, तो उसका यह अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति, संस्था या कम्पनी आदि को कंपलसरी लाइसेंस के द्वारा दिया जा सकता है।

दीनू : पर यह हरकत तो सारी कम्पनियां करती है।

करूणा : करती है, पर गलत है, अब इसे नहीं होने दिया जायेगा।

त्रिलोक : अगर कोई हमारी फसल या बीज चुरा कर बाजार में बेचे तो ?

विक्रम : तो किसान न्यायालय में जा करकेस कर सकता है और उससे कोई फीस भी नहीं वसूली जायेगी।

कल्लू : क्या फायदा, हमारा नीम चला तो गया ?

करूणा : चला तो गया था पर हम कानूनन लड़कर उसे वापस ले आये हैं। हां नीम के कई रासायनिक तत्वों पर कई कम्पनियों ने पेटेन्ट ले लिया है,उसके लिये भी लड़ाई जारी है।

विक्रम : इसी तरह हल्दी, बासमती आदि के अधिकारों को वापस पाने में हम सफल हुए हैं।

दादा जी : पिछले दिनों अखबार में था कि कोई हमारी करी पर भी पेटेन्ट ले रहा है।

बल्ली : करी क्या ?

मुखिया : अरे मसाले आदि डाल कर हम जो तरी तैयार करते हैं, उसे यह गोरे करी कहते हैं।

कल्लू : यह करी पर पेटेन्ट कैसे हो सकता है, इस पर तो हमारे त्रिलोक का अधिकार है। चाहे पनीर की करी हो या मुर्गे की सब इसके पेट में।(सब हंसते हैं)

विक्रम : करी को लेकर भी लड़ाई चल रही है। असल में ये लोग हमारी बनाई हुई चीजों में मामूली बदलाव कर के उसे पेटेन्ट करा लेते हैं। फिर उसे बेच कर मुनाफा कमाते हैं। इसलिये यह सब रोकने के लिये हर समय इनके पेटेन्ट आदि पर नजर रखनी पड़ती है।

दीनू : भईया, प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि सब अधिकारों की कोई समय सीमा भी होती है।

करूणा : हां, पी वी पी यानी पौधों की किस्मों का सुरक्षा अधिकार जो मिलताहै। वह करीब 20–25 साल के लिये होता है, जबकि कॉपी राइट का अधिकार उस कॉपी राइट द्वारा सुरक्षित वस्तु के मूल वस्तुकार के मरने के 50 से 70 साल बाद तक का मिलता है।

विक्रम : भारत के सू जिनेरिस पी वी पी अधिनियम के तहत इस तरह की सुरक्षा के लिये समय अवधि पेड़ों के लिये 18 साल और फसलों या पौधों के लिये 15 साल है।

त्रिलोक : जब हमारा बीज कोई और नहीं बेच सकता और हमसे पूछे बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता तो इस पर 50 से 70 साल के लिए कॉपी राइट लागू होना चाहिए। क्यों है न ।

दादा जी : वाह त्रिलोक बढ़िया बात सोची।

कल्लू : अरे दादा जी, मेरी संगत का असर है। कभी–कभी ठीक भी सोच लेता है। बेचारा, इतना सोचने में इसके सारे परांठों की ऊर्जा लग गई होगी।(सब हंसते हैं)

त्रिलोक : हां भूख तो सच में लगने लगी है।(सब हंसते हैं)

करूणा : असल में यह मांग कई बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा की जा रही है कि पी वी पी की जगह कॉपी राइट फसलों पर लगाया जाये। इससे वह ज्यादा सालों तक मुनाफा कमा पायेंगी।

दीनू : अरे वह यह कर भी लेंगी, यह सब गोरों और उनकी कम्पनियों ने अपने फायदे के लिये बनाया है।

विक्रम : बात हो सकता है, सही हो। पर जितनी जैवविविधता हमारे पास है, उनके पास नहीं है। अब मूल रूप में तो बीज, फसलें, पौधे हमारे पास ही है

न। हां उनके पास टैक्नोलॉजी है, जिसका फायदा उठाकर वे हमारी सम्पदा हमसे छीन सकते हैं।

करूणा : हां, जैसे बायोटैक्नोलॉजी जैसी तकनीक के द्वारा वह बी.टी.कपास आदि बना कर पेटेन्ट ले सकते हैं। इससे बचने के लिये ही तो हमें अपने बीज और फसलों की किस्मों को बचाना है।

दादा जी : इसके लिये हमें अपने देसी बीजों का रजिस्ट्रेशन और तकनीकों पर पेटेन्ट लेना होगा।

विक्रम : और अपनी देसी किस्मों से ज्यादा फसल लेने के साथ–साथ उन्हें अपनाना भी होगा।

करूणा : हां, आज पूरे विश्व में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ रही है, हमारी देसी किस्मों में कीट आदि का प्रकोप कम होता है, इसलिये कीटनाशी कम इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ इनमें रासायनिक खाद आदि की भी कम जरूरत होती है।

मेधा : जब हमारी अपनी किस्में इतनी अच्छी है, तो उन्हें ही लगाना चाहिए।

प्रयास : हां और रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए ताकि कोई और न चुरा ले।

दादा जी : बिल्कुल ठीक कहा बच्चों, दुनिया के कानून के हिसाब से चलना है तो आंख–कान खुले रखने पड़ेंगे। करूणा बेटी तुमने एक बहुत जिम्मेदारी का काम हाथ में ले रखा है। मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करता हूं और तुम्हारी इस लड़ाई में हम किसान हमेशा तुम्हारे साथ हैं।

कल्लू : बिल्कुल ठीक दादा जी, पर मैं पहले इस त्रिलोक का रजिस्ट्रेशन कराऊं किसी और ने करा लियातो गया अपना यार हाथ से।(सब हंसते हैं)

त्रिलोक : अरे तेरा यार और यह हमारे दूसरे दोस्त, ये हमारी फसलें कहीं नहीं जाने वाले। अरे जब हम जाग गये तो कौन चुरा पायेगा हमारी यह जैवविविधता।

कल्लू : अब तो नहीं चुरा पायेगा। चल तुझे कुछ खिला लाऊं। तू थक गया होगा, तुम भी चलो मेधा–प्रयास।

मेधा–प्रयास : आते हैं, चाचा। अच्छा सबको नमस्ते।(सब की हंसी के साथ समापन)

,,,